

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद, जिला बारां राजस्थान
पीठासीन अधिकारी :- राहुल कुमार मल्होत्रा (आर.ए.एस.)
राजस्व अपील संख्या 08/22 दायरा दिनांक 24.06.2022

मैमर्स आबजी आर्गेनिक फार्म रजिस्टर्ड कार्यालय डिग्गी हाउस, सी स्कीम, जयपुर
जरिये भागीदार गिरवरसिंह पुत्र रतनसिंह जाति राजपूत उम्र 52 वर्ष निवासी
सांवराद तहसील लाडनू जिला नागौर राजस्थान
- अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग जयें सरपंच ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग तहसील शाहावाद
जिला बारां राजस्थान
2. सरकार सरकार जयें तहसीलदार शाहावाद जिला बारां राजस्थान
- रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरुद्ध नामान्तरकरण संख्या 254 ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग तहसील
शाहावाद बारां

निर्णय-दिनांक 08.09.2022

उपस्थित- अपीलान्टस की ओर से-श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
रेस्पों. की ओर से - एकपक्षीय

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा ग्राम गुंजारी की जमाबंदी सम्वत
2064 से 2067 में दर्ज खाता संख्या 63 आराजी खसरा नंबर 174 रकबा 4 विस्वा,
खसरा नम्बर 235 रकबा 07 विस्वा, खसरा नम्बर 252 रकबा 16 विस्वा, खसरा नम्बर
253 रकबा 03 विस्वा, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नम्बर 380 रकबा
16 विस्वा, खसरा नम्बर 391 रकबा 06 विस्वा, खसरा नम्बर 426 रकबा 13 विस्वा,
खसरा नम्बर 432 रकबा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 483 रकबा 06 विस्वा, खसरा नम्बर
487 रकबा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 500 रकबा 19 विस्वा, खसरा नम्बर 534 रकबा
01 विस्वा, खसरा नम्बर 575 रकबा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 579 रकबा 08 विस्वा,
खसरा नम्बर 597 रकबा 1.15 बीघा किता 17 कुल रकबा 11.04 बीघा सम्पूर्ण व
तत्कालीन खाता संख्या 64 खसरा नम्बर 326 रकबा 15 विस्वा, खसरा नम्बर 355
रकबा 1.01 बीघा किता 2 कुल 1.16 बीघा हिस्सा 1/2 को जरिये रजिस्टर्ड
विक्रयपत्र द्वारा भूतपूर्व खातेदार महेश पुत्र भाटो, रामश्री पुत्री भाटो जाति किराड
निवासी गुंजारी तहसील शाहावाद जिला बारां राज. से दिनांक 30.06.2011 को खरीद
की, जो सबरजिस्ट्रार शाहावाद के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 47 में पृष्ठ
संख्या 82 क्रम संख्या 2011000439 पर पजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक
संख्या 1 जिल्द संख्या 118 के पृष्ठ संख्या 171 से 182 पर चस्पा किया गया है।
इस प्रकार अपीलार्थी दिनांक 30.06.2011 से उक्त आराजीयात पर मालिकाना हक
की हैसियत से कायम है तथा हर प्रकार के लाभ प्राप्त करते आ रहे हैं। अपीलार्थी
उक्त भूमि का पूर्ण रूप से मालिक व स्वामी है। ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग ने नामा.
पेश हुआ, दस्तावेज के अभाव में खारिज का नोट अंकित कर नामान्तरण खारिज
फरमा दिया गया, जबकि सरपंच ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग के रजिस्टर्ड
विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत कर दी थी, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सरपंच पर गौर
नहीं कर सरसरी तौर पर रूटिन में दस्तावेज के अभाव में उक्त नामान्तरण खारिज

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

फरमा दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर पृत्यर्थी द्वारा जो नामान्तरण संख्या 254 दस्तावेज के अभाव में खारिज फरमा दिया गया है, उसे स्वीकार फरमाया जाकर अपीलार्थी के हक में नामान्तरण खोले जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।


अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्टस की तलबी की गई। रेस्पोंडेन्टस के विरुद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अधिवक्ता अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

अपीलान्टस की मुख्य रूप से आपत्ति यह है कि उन्होंने ग्राम गुंजारी तहसील शाहावाद की आराजी जमाबंदी सम्वत 2064 से 2067 में दर्ज खाता संख्या 63 आराजी खसरा नंबर 174 रकबा 4 विस्वा, खसरा नम्बर 235 रकबा 07 विस्वा, खसरा नम्बर 252 रकबा 16 विस्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 03 विस्वा, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नम्बर 380 रकबा 16 विस्वा, खसरा नम्बर 391 रकबा 06 विस्वा, खसरा नम्बर 426 रकबा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 432 रकबा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 483 रकबा 06 विस्वा, खसरा नम्बर 487 रकबा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 500 रकबा 19 विस्वा, खसरा नम्बर 534 रकबा 01 विस्वा, खसरा नम्बर 575 रकबा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 579 रकबा 08 विस्वा, खसरा नम्बर 597 रकबा 1.15 बीघा किता 17 कुल रकबा 11.04 बीघा सम्पूर्ण व ततकालीन खाता संख्या 64 खसरा नम्बर 326 रकबा 15 विस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 1.01 बीघा किता 2 कुल 1.16 बीघा हिस्सा 1/2 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र द्वारा भूतपूर्व खातेदार महेश पुत्र भाटो, रामश्री पुत्री भाटो जाति किराड निवासी गुंजारी तहसील शाहावाद जिला बारां राज. से दिनांक 30.06.2011 को खरीद की है, जो सबरजिस्ट्रार शाहावाद के यहां पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 47 में पृष्ठ संख्या 82 क्रम संख्या 2011000439 पर पंजीबद्ध किया गया है। इस विक्रय की पालना में दर्ज किये गये नामान्तरण को सरपंच ग्राम पंचायत बीलखेडाडांग ने दस्तावेज के अभाव में खारिज कर दिया है, जबकि विक्रयपत्र की प्रति अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गई थी। अपीलान्टस के इस कथन के आलोक में पत्रावली में संलग्न रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि संलग्न नकल नामान्तरण संख्या 254 दस्तावेज के अभाव में खारिज किया गया है, जबकि इस नामान्तरण के कॉलम संख्या 14 में विक्रयपत्र का विवरण अंकित है। इससे स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरण विक्रयपत्र दिनांक 30.06.2011 की पालना में ही दर्ज किया गया है, जिसे मूल अथवा असल विक्रयपत्र के अभाव में खारिज किया गया है। इसके अलावा अन्य कोई आक्षेप नहीं है।

अतः उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलान्टस स्वीकार की जाकर तहसीलदार शाहावाद को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा आराजी आराजी खसरा नंबर 174 रकबा 4 विस्वा, खसरा नम्बर 235 रकबा 07 विस्वा, खसरा नम्बर 252 रकबा 16 विस्वा, खसरा नम्बर 253 रकबा 03 विस्वा, खसरा नम्बर 329 रकबा 1.05 बीघा, खसरा नम्बर 380 रकबा 16 विस्वा, खसरा नम्बर 391 रकबा 06 विस्वा, खसरा नम्बर 426 रकबा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 432 रकबा 12 विस्वा, खसरा नम्बर 483 रकबा 06 विस्वा, खसरा नम्बर 487 रकबा 10 विस्वा, खसरा नम्बर 500 रकबा 19 विस्वा, खसरा नम्बर 534 रकबा 01 विस्वा, खसरा नम्बर 575 रकबा 13 विस्वा, खसरा नम्बर 579 रकबा 08 विस्वा, खसरा नम्बर 597 रकबा 1.15 बीघा किता 17 कुल रकबा 11.04 बीघा सम्पूर्ण व ततकालीन खाता संख्या 64 खसरा नम्बर 326

सुपरीम अफिकारी
शाहावाद

रकबा 15 विस्वा, खसरा नम्बर 355 रकबा 1.01 बीघा किता 2 कुल 1.16 बीघा हिस्सा 1/2 ग्राम गुजारी तहसील शाहावाद के अपीलार्थी के हक में पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 30.06.2011 की मूल अथवा प्रमाणित प्रति अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत करने पर मुताबिक विक्रयपत्र अपीलार्थी के हक में नामान्तरण दर्ज किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 08.09.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उपसचिव अधिकारी
शाहावाद